[कृष्णा मुरारी और एस**.** रवींद्र भाट**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:s.482-आपराधिक शिकायत को रद्द करना-उच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ता ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए अपने खिलाफ दायर शिकायत को रद्द करने की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया था-अपील पर आयोजितः न्यायालय, एस के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए।482 केवल इस बात पर विचार करना होगा कि शिकायत में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध का खुलासा करते हैं या नहीं-आपराधिक शिकायत को रद्द करना केवल दुर्लभतम मामलों में ही किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह न्याय की विफलता को रोकने के लिए प्रत्येक मामले को बहुत विस्तार से देखे-तत्काल मामले में, अपीलार्थीगण के परिसरों में आक्षेपित पदार्थ का कोई भंडार नहीं पाया गया-यहां तक कि आक्षेपित पदार्थ को भी एस के अनुसार भोजन की परिभाषा के तहत आने वाले थोक खाद्य पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
अपीलार्थीगण 3 अपीलार्थीगण(अपीलार्थीगण 1 अपीलार्थीगण)अपीलार्थीगण(अपीलार्थीगणज अपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण)अपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणखअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणदअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणयअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणसअपीलार्थीगणुअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणषअपी लार्थीगणाअपीलार्थीगण अपीलार्थीगणऔअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणमअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणनअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणअअपीलार्थीगणधअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणनअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणयअ पीलार्थीगणमअपीलार्थीगण,अपीलार्थीगण
अपीलार्थीगण 2 अपीलार्थीगण 0 अपीलार्थीगण 0 अपीलार्थीगण 6 अपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणतअपीलार्थीगणहअपीलार्थीगणतअपीलार्थीगण-
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणथअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणतअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणपअपीलार्थीगणदअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणथअपी लार्थीगण अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणोअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणभअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणतअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगणयअ

पीलार्थीगण
अपीलार्थीगणऔअपीलार्थीगणषअपीलार्थीगणधअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणलअपीलार्थीगणयअपीलार्थीगण अपीलार्थीगणमअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगणंअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणएअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणदअपीलार्थीगणवअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणूअपीलार्थीगणपअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणमअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगणंअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणशअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणमअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणलअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणनअपीलार्थीगणहअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगणंअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणगअपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणहअपीलार्थीगणैअपीलार्थीगण,अपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणजअपीलार्थीगणोअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणआअपीलार्थीगणगअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणहअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणसअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणबअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणतअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणतअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणहअपीलार्थीगणैअपीलार्थीगण अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणइअपीलार्थीगणसअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणऔअपीलार्थीगणषअपीलार्थीगणधअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणऔअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणपअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणसअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणधअपीलार्थीगणनअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणअअपीलार्थीगणधअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणनअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणमअपीलार्थीगण,अपीलार्थीगण
अपीलार्थीगण 1 अपीलार्थीगण 9 अपीलार्थीगण 4 अपीलार्थीगण 0 अपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणतअपीलार्थीगणहअपीलार्थीगणतअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणलअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणइअपीलार्थीगणसअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगणंअपीलार्थीगणसअपीलार्थीगण अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणआअपीलार्थीगणवअपीलार्थीगणशअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणतअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणनअपीलार्थीगणहअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगणंअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणहअपीलार्थीगणैअपीलार्थीगण-
अपीलार्थीगणइअपीलार्थीगणसअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणअअपीलार्थीगणलअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणवअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगण,अ

पीलार्थीगण
अपीलार्थीगणपअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणंअपीला
र्थीगणभअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगण अनुसंधान अपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणऔअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणशअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणतअ
पीलार्थीगण अपीलार्थीगणदअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणजअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणनअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणबअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगणचअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणचअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणसअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणलअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणसअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणअअपीलार्थीगणधअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणअअपीलार्थीगणंअपीलार्थीगणतअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणलअपी
लार्थीगण अपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणहअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणहअपीलार्थीगणैअपीलार्थीगण,अपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणऔअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणपअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणपअपी
लार्थीगण्अपीलार्थीगणतअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणसअपीलार्थीगणमअपीलार्थीगणयअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणबअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगणतअपीलार्थीगणनअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणबअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणदअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणभअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगण,अपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणशअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणतअ
पीलार्थीगण अपीलार्थीगणमअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगणंअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणदअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणवअपीलार्थीगणोअपीलार्थीगणंअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणोअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणबअपीलार्थीगणनअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणएअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणखअपीलार्थीगणनअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणलअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणएअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणोअपीलार्थीगणईअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणसअपीलार्थीगणबअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणतअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणनअपीलार्थीगणहअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगणंअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणदअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगण

अपीलार्थीगणगअपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणहअपीलार्थीगणैअपीलार्थीगण-
अपीलार्थीगणइअपीलार्थीगणसअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणअअपीलार्थीगणलअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणवअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगण,अपीलार्थीगण प्रत्यर्थीअपीलार्थीगण अपीलार्थीगणनअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणपअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणंअपीलार्थीगणभअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणसअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणथअपीलार्थीगणलअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणनअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणषअपीलार्थीगणणअपीलार्थीगण,अपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणणअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणदअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणखअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणएअपीलार्थीगणंअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणनअपीलार्थीगणोअपीलार्थीगणटअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणसअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणऔअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणशअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणतअपीलार्थीगण अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणबअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगणचअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणचअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणसअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणलअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणसअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणअअपीलार्थीगणधअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणअअपीलार्थीगणसअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणधअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणणअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणदअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणलअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणएअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणोअपीलार्थीगणईअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणसअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणपअपीलार्थीगणषअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणटअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणणअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणनअपीलार्थीगणहअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगणंअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणदअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणहअपीलार्थीगणैअपीलार्थीगण-
अपीलार्थीगणहअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणलअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणंअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणअअपीलार्थीगणपअपीलार्थीगणनअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण

अपीलार्थीगणआअपीलार्थीगणपअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणमअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगणंअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणअअपीलार्थीगणतअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणधअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणदअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणए अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणआअपीलार्थीगणपअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणधअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणशअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणतअपीलार्थीगण अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणोअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणदअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणदअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणनअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणलअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणएअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणआअपीलार्थीगणधअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणनअपीलार्थीगणहअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगणंअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणहअपीलार्थीगणोअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणसअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणतअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणहअपीलार्थीगणैअपीलार्थीगण,अपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणहअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणलअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणंअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगण,अपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणशअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणतअपीलार्थीगण अपीलार्थीगणदअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणजअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणनअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणमअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगणंअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणअअपीलार्थीगणसअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणपअपीलार्थीगणषअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणटअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणृअपीलार्थीगणतअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणअअपीलार्थीगणतअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणधअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणदअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगण।अपीलार्थीगण

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

113 ए.

114 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 16 एस. सी. आर.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए, न्यायालय को, जब वह धारा **482 Cr.P.C** के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, तो केवल इस बात पर विचार करना होता है कि शिकायत में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करते हैं या नहीं।प्रत्यर्थी ने विवादित शिकायत में कहा कि अपीलार्थीगण के परिसरों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि अपीलार्थीगण ने विवादित पदार्थ का **75** किलोग्राम **(3 x 25** किलोग्राम पैकेट के रूप में**)** खरीदा था।हालाँकि, अपीलार्थीगण के परिसर में विवादित पदार्थ का कोई भंडार नहीं पाया गया।**[**पारस **8** और **12] [118-**ई-एफ**; 122-**ए-बी**]2.** आक्षेपित पदार्थ की कानूनी प्रकृति के अवलोकन पर, आक्षेपित पदार्थ को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, **2006** की धारा **3 (1) (**जे**)** के अनुसार भोजन की परिभाषा के तहत आने वाले थोक खाद्य पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।विवादित पदार्थ का विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, **2016** की अनुसूची**-I** के क्रम संख्या **4 (ii)** में एक खाद्य घटक के रूप में उल्लेख किया गया है।कथित पदार्थ को इंडियन फार्माकोपिया में एक दवा के रूप में शामिल नहीं किया गया है।तथ्य यह है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, **2006** की धारा **3 (1) (**जे**)** के अनुसार इसका "भोजन" के रूप में उल्लेख किया गया है, यह केवल यह साबित करता है कि विवादित पदार्थ को औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, **1940** के तहत एक विशिष्ट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।**[**पारस **16** और **17] [122-**ई**-**एफ**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

3. प्रत्यर्थी ने यह साबित करने का कोई प्रयास नहीं किया है कि कथित पदार्थ केवल एक दवा है न कि खाद्य निर्माण पदार्थ।यह साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण या अन्यथा प्रस्तुत नहीं किया गया है कि कथित पदार्थ का उपयोग पूरी तरह से दवा के निर्माण के लिए किया जाता है न कि खाद्य पदार्थों के लिए।प्रथम दृष्टया, प्रारंभिक जांच और शिकायत के बीच चार साल की अवधि में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की कमी के कारण, यह

अदालत यह नहीं मान सकती कि कथित पदार्थ को केवल "दवा" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।यदि यह माना जाता है कि आक्षेपित पदार्थ का उपयोग पूरी तरह से दवा निर्माण के लिए किया जाता है, तो भी, अपीलकर्ता दवा और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, **1940** के तहत उत्तरदायी नहीं होंगे क्योंकि अपीलार्थीगण के पास पहले से ही दवा और सौंदर्य प्रसाधन नियम, **1945** के फॉर्म **20** बी और **21** बी के अनुसार आवश्यक थोक दवा लाइसेंस है।ऐसे परिदृश्य में, भले ही शिकायत में लगाए गए आरोप ए लिए गए हों

एफ.

जी.

एच.

115

हसमुखलाल डी. वोरा और ए. एन. आर. बनामतमिल नाडु ए का राज्य

कुल मिलाकर, अपराध के लिए कोई मामला अभी भी नहीं बनाया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया तुच्छ हो जाएगी।**[**पारस **19** और **20] [123-**बी**-**डी**]**

4. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी ने प्रारंभिक स्थल निरीक्षण, कारण बताए जाने की सूचना और शिकायत के बीच चार साल से अधिक की असाधारण देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।वास्तव में, इस तरह के स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति केवल न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के पीछे कुछ भयावह उद्देश्य का अनुमान लगाने के लिए प्रेरित करती है।हालांकि अपने आप में अत्यधिक देरी एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए आधार नहीं हो सकती है, ऐसे मामलों में, इस तरह की अवधि की अस्पष्टीकृत अत्यधिक देरी को एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने के आधार के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना जाना चाहिए।**[**पारस **24** और **25] [124-**डी**-**ई**]**

बी.

सी.

5. उच्च न्यायालय विवादित निर्णय पारित करते समय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने में विफल रहा है।हालांकि यह सच है कि आपराधिक शिकायत को रद्द करना केवल दुर्लभतम मामलों में ही किया जाना चाहिए, फिर भी यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह न्याय की विफलता को रोकने के लिए प्रत्येक मामले को बहुत विस्तार से देखे।कानून एक पवित्र इकाई है जो न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मौजूद है, और अदालतों को, कानून के रक्षकों और कानून के सेवकों के रूप में, हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तुच्छ मामले कानून की पवित्र प्रकृति को विकृत न करें।**[**पैरा **28] [125-**ए**-**सी**]**

डी.

ई.

हरियाणा राज्य और अन्य बनामभजन लाल और अन्य। (1992)

मान लीजिए **1** एस**.** सी**.** सी**. 335:[1991] 1** पूरक।एससीआर **387;**

आंध्र प्रदेश राज्य बनाम गोलकोंडा लिंग स्वामी और

एन. आर. (2004) 6 एससीसी 522:[2004] 3 पूरक।एस. सी. आर 147; आर.

पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य [1960] 3 एससीआर 388; बिजॉय सिंह और अन्र बनामबिहार राज्य (2002) 9 एससीसी 147:

एफ.

[2002] 3 एस**.** सी**.** आर**. 17 9-**पर निर्भर था।मामला कानून संदर्भ

[1991] 1 पूरक।एससीआर **387**

उस पर भरोसा करें

पैरा **9**

जी.

[2004] 3 पूरक।एससीआर **147**

उस पर भरोसा करें

पैरा **10**

[1960] 3 एससीआर **388**

उस पर भरोसा करें

पैरा **11**

[2002] 3 एस**.** सी**.** आर**. 17**

उस पर भरोसा करें

पैरा **23**

एच.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 2310।

सी. आर. एल. में मद्रास उच्च न्यायालय के 23.08.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से। 2018 का ओ. पी. सं. 6445।

के. रमाकांत रेड्डी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री कोमल अग्रवाल, के. कृष्ण कुमार, अधिवक्ता। अपीलार्थीगण के लिए।

बी.

वी. कृष्णमूर्ति, वरिष्ठ अधिवक्ता, डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस., नूपुर शर्मा, शोभित द्विवेदी, सुश्री ऋचा विश्वकर्मा, सुश्री वैदेही रस्तोगी, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी.

कृष्णा मुरारी, जे।

छुट्टी मंजूर की गई।

2. वर्तमान अपील 2018 के आपराधिक ओ. पी. संख्या 6445 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश (जिसे इसके बाद "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित किया गया है) के खिलाफ निर्देशित है, जहां उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए Cr.PC की धारा 482 के तहत अपीलकर्ताओं की याचिका खारिज कर दी गई थी।

डी.

3. संक्षेप में, इस अपील के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

ई.

I. अपीलकर्ता संख्या 1 मेसर्स केम फार्म के नाम से एक साबित कंपनी का मालिक है, जो भोजन, खाद्य पूरक, औषधीय तैयारी आदि में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के रसायनों का व्यापारी है। अपीलार्थी नं. 2 अपीलार्थी नं. 1 का पुत्र और कर्मचारी है।

एफ.

II. अपने व्यवसाय के दौरान, अपीलार्थीगण ने एक मेसर्स एंटोइन एंड बेकॉयरेल ऑर्गेनिक केमिकल कंपनी से 75 किलोग्राम पाइरिडोक्सल-5-फॉस्फेट (3 x 25 किलोग्राम पैक के रूप में) खरीदा।

III. आई. डी. 1 को, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, कोडमबक्कम रेंज ने अपीलकर्ताओं के परिसरों का निरीक्षण किया और औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18 (सी) का कथित उल्लंघन किया, जिसे औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 65 (5) (1) (बी) के साथ पढ़ा गया।यह दावा किया गया था कि अपीलार्थीगण ने पाइरिडोक्सल-5-फॉस्फेट की थोक मात्रा को तोड़ दिया और इसे विभिन्न वितरकों को बेच दिया।

जी.

एच.

117

हसमुखलाल डी. वोरा और ए. एन. आर. बनामतमिल नाडु राज्य [कृष्ण मुरारी, जे.] ए.

ए.

IV. यह आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी ने कच्चे माल की थोक मात्रा को विभिन्न पैक आकारों में विभाजित किया था जिसमें मात्रा 0.5kg, 1 किग्रा, 10 किग्रा और 15 किग्रा थी और इसे विभिन्न दवा निर्माताओं को बेच दिया था।

V. 30.03.2016 पर, औषधि निरीक्षक ने लगभग तीन वर्षों के बाद अपीलार्थीगण को एक कारणदर्शक ज्ञापन जारी किया।अपीलार्थीगण ने 02.04.2016 पर कारण दर्शाओ ज्ञापन के बाद उसी पर अपना जवाब प्रस्तुत किया।

बी.

VI. 11.08.2017 पर, एक वर्ष और चार महीने के अंतराल के बाद, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थीगण के खिलाफ शिकायत दर्ज की।

सी.

4. मद्रास उच्च न्यायालय में अपीलार्थीगण ने उपरोक्त शिकायत को रद्द करने की मांग की और इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि मामले के तथ्यों का पता लगाने के लिए एक परीक्षण आवश्यक था और मुकदमे में तेजी लाने के लिए एक आदेश पारित किया गया था। आदेश का प्रासंगिक भाग नीचे निकाला गया है:

डी.

“यद्यपि अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कई आधार उठाए गए हैं, तथापि, इस न्यायालय की राय है कि यह मुद्दा एक विचारणीय मुद्दा है और अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए आधार सभी तथ्यात्मक प्रकृति के हैं, और इसके लिए साक्ष्य की सराहना की आवश्यकता है, और यह न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इसका निर्णय नहीं ले सकता है।अपीलार्थीगण के लिए यह

खुला छोड़ दिया गया है कि वे न्यायालय के समक्ष सभी आधारों को उठा सकें और उन पर अपने गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।यह न्यायालय नीचे दिए गए न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है।"

ई.

एफ.

5. इससे व्यथित होकर, अपीलार्थीगण ने वर्तमान अपील दायर की, जिसमें उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत को रद्द करने की मांग की गई।

अपीलार्थीगण के स्वयं पर तर्क

6. एल. डी. अपीलार्थीगण की ओर से पेश अधिवक्ता ने तर्क दिया किः

जी.

क) प्रत्यर्थी/औषधि निरीक्षक प्रथम दृष्टया कोई सबूत देने में विफल रहा है जो यह दर्शाता है कि पदार्थ "पायरिडोक्सल 5 फॉस्फेट" (इसके बाद आक्षेपित पदार्थ के रूप में संदर्भित) केवल औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत आने वाली दवा है।

एच.

बी) आक्षेपित पदार्थ एक थोक खाद्य पदार्थ है जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के नियमों और विनियमों की धारा 3 (1) (जे) के अनुसार "भोजन" की परिभाषा के तहत आता है, न कि दवा और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 3 (बी) के तहत एक दवा।

ग) प्रतिवादी/औषधि निरीक्षक औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 22 के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि यह उसी अधिनियम की धारा 23 के अधीन है।

बी.

घ) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की अनुसूची के और नियम 123 उन सभी पदार्थों को, जो खाद्य निर्माण और औषधि निर्माण दोनों में उपयोग किए जाने में सक्षम

हैं, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अध्याय IV की सभी आवश्यकताओं से छूट देते हैं।

सी.

ई) भले ही आक्षेपित पदार्थ को एक दवा माना जाता है, अपीलार्थीगण के पास दवा और सौंदर्य प्रसाधन नियम, 1945 के फॉर्म 20 बी और 21 बी में एक वैध थोक दवा लाइसेंस है।

डी.

च) प्रत्यर्थी ने प्रथम दृष्टया यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि अपीलार्थीगण ने वस्तुओं को तोड़ दिया और उन्हें फिर से पैक किया, जिससे अधिनियम की प्रकृति विनिर्माण बन गई।

विश्लेषण

7. हमने अपीलार्थीगण और प्रत्यर्थीगण की ओर से पेश होने वाले वकीलों को बहुत विस्तार से सुना है।

ई.

8. आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए, न्यायालय को, जब वह धारा 482 Cr.P.C के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, तो केवल इस बात पर विचार करना होता है कि शिकायत में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करते हैं या नहीं।

एफ.

9. यह न्यायालय, हरियाणा राज्य और अन्य में। बनाम भजन लाल और

ओआरएस। **1,** ने आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश निम्नानुसार निर्धारित किए हैं:-

“अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों और इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की व्याख्या की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर निकाला और पुनः प्रस्तुत किया है,

जी.

एच.

1 1992 पूरक 1 एस. सी. सी. 335 ए.

हम निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों को उदाहरण के रूप में देते हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से व्यवस्थित और कठोर दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

बी.

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

सी.

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और प्राथमिकी के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुसंधान को उचित ठहराते हैं।

डी.

(3) जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

ई.

(4) जहां, एफ. आई. आर. में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां संहिता की धारा 155 (2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी अनुसंधान की अनुमति नहीं दी जाती है।

एफ.

(5) जहाँ एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के

किसी भी प्रावधान में संस्था को और कार्यवाही को जारी रखने और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, वहां एक स्पष्ट कानूनी बाधा है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

जी.

एच.

120 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 16 एस. सी. आर.

(7) जहाँ किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से देखा जाता है और/या जहाँ कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसका विरोध करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।"

10. आंध्र प्रदेश राज्य बनाम गोलकोंडा लिंग स्वामी

बी.

& एन. आर. 2, इस न्यायालय ने विस्तार से बताया कि उच्च न्यायालय उन मामलों में कौन से साक्ष्य और सामग्री प्राप्त कर सकता है जहां शिकायत को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।न्यायालय ने कहाः

".....न्याय की प्रगति के लिए न्यायालय का प्राधिकरण मौजूद है, और यदि उस प्राधिकरण का दुरुपयोग करने का कोई प्रयास किया जाता है ताकि अन्याय पैदा किया जा सके, तो न्यायालय के पास इस तरह के दुरुपयोग को रोकने की शक्ति है।यह किसी भी कार्रवाई की अनुमति देने के लिए न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा जिसके परिणामस्वरूप अन्याय होगा और न्याय को बढ़ावा देने में बाधा आएगी।शक्तियों का प्रयोग करते हुए अदालत किसी भी कार्यवाही को रद्द करने के लिए उचित होगी यदि उसे लगता है कि इसकी शुरुआत या निरंतरता अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग या इन कार्यवाही को रद्द करने के बराबर है अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा।जब शिकायत द्वारा किसी अपराध का खुलासा नहीं किया जाता है, तो न्यायालय तथ्य के प्रश्न की जांच कर सकता है।जब किसी शिकायत को रद्द करने की मांग की जाती है, तो यह आकलन करने के लिए सामग्री को देखने की अनुमति है कि वादी ने क्या आरोप लगाया है और क्या कोई अपराध बनाया गया है, भले ही आरोप पूरी तरह से स्वीकार किए गए हों।"

सी.

डी.

ई.

11. आर**.** पी**.** कपूर बनाम। पंजाब राज्य **3,** इस न्यायालय ने संक्षेप में कहा

कुछ श्रेणियों के मामले जहां कार्यवाही को रद्द करने के लिए अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है और किया जाना चाहिएः

एफ.

"यह अच्छी तरह से स्थापित है कि उच्च न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए उचित मामले में कार्यवाही को रद्द करने के लिए किया जा सकता है।आम तौर पर एक अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर संहिता के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए, और उच्च न्यायालय एक अंतर्वर्ती स्तर पर उक्त कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होगा।यह संभव, वांछनीय या समीचीन नहीं है।

जी.

2 (2004) 6 एससीसी 522 3 (1960) 3 एससीआर 388 ए

एच.

किसी भी अनम्य नियम को निर्धारित करना जो इस अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को नियंत्रित करेगा।हालाँकि, हम कुछ श्रेणियों के मामलों का संकेत दे सकते हैं जहाँ कार्यवाही को रद्द करने के लिए अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जा सकता है और किया जाना चाहिए।ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें उच्च न्यायालय के लिए यह दृष्टिकोण रखना संभव हो सकता है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की स्थापना या निरंतरता अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो सकती है या कि विवादित कार्यवाही को रद्द करने से न्याय का उद्देश्य सुरक्षित हो जाएगा।यदि विचाराधीन आपराधिक कार्यवाही किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किए गए कथित अपराध के संबंध में है और यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि उक्त कार्यवाही को स्थापित करने या जारी रखने के खिलाफ कोई कानूनी प्रतिबंध है, तो उच्च न्यायालय उस आधार पर कार्यवाही को रद्द करने में उचित होगा।उदाहरण के लिए, अपेक्षित मंजूरी की अनुपस्थिति इस श्रेणी के तहत मामले प्रस्तुत कर सकती है।ऐसे मामले भी उत्पन्न हो सकते हैं जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, कथित अपराध का गठन नहीं करते हैं; ऐसे मामलों में साक्ष्य की सराहना करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है; यह केवल शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को देखने का मामला है ताकि यह तय किया जा सके कि कथित अपराध का खुलासा किया गया है या नहीं।ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय के लिए यह अभिनिर्धारित करना वैध होगा कि अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ

आपराधिक अदालत की प्रक्रिया को जारी करने की अनुमति देना स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण होगा।एक तीसरी श्रेणी के मामले भी उत्पन्न हो सकते हैं जिनमें उच्च न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है।इस श्रेणी के तहत आने वाले मामलों में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप एक कथित अपराध का गठन करते हैं, लेकिन मामले के समर्थन में या तो कोई कानूनी सबूत पेश नहीं किया जाता है या सबूत स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से आरोप को साबित करने में विफल रहता है।इस वर्ग के मामलों से निपटने में ऐसे मामले के बीच के अंतर को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है जहां कोई कानूनी सबूत नहीं है या जहां सबूत है जो स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से लगाए गए आरोप के साथ असंगत है और ऐसे मामले जहां कानूनी सबूत है जो इसके समर्थन पर प्रश्न में आरोप का समर्थन कर सकता है या नहीं भी कर सकता है।"

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

12. प्रत्यर्थी ने विवादित शिकायत में कहा कि अपीलार्थीगण के परिसरों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि अपीलार्थीगण ने विवादित पदार्थ का 75 किलोग्राम (3 x 25 किलोग्राम पैकेट के रूप में) खरीदा था।हालाँकि, अपीलार्थीगण के परिसर में विवादित पदार्थ का कोई भंडार नहीं पाया गया।

13. इसके बाद, अपीलार्थीगण की कंपनी के बिक्री चालानों के सत्यापन पर, यह पाया गया कि अपीलार्थीगण ने विवादित पदार्थ को तोड़ दिया था और इसे विभिन्न छोटे पैकेजों में पैक कर दिया था।इन छोटे पैक को फिर विभिन्न अन्य दवा निर्माताओं को बेच दिया गया।14. आक्षेपित पदार्थ को छोटे पैकेजों में कथित रूप से विभाजित करने और उसके आगे वितरण को प्रत्यर्थी द्वारा "विनिर्माण" के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है, और इसलिए औषध और

प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 3 (च) के साथ पठित धारा 18 (सी) के तहत अपीलार्थीगण के खिलाफ मामला बनाया जा रहा है।

बी.

सी.

15. आर. पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य (सुप्रा) मामले में यह न्यायालय,

ऊपर उल्लिखित, ने स्पष्ट किया है कि अदालत एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, बशर्ते कि प्रस्तुत किया गया सबूत स्पष्ट रूप से लगाए गए आरोपों के साथ असंगत हो, या कोई कानूनी सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

डी.

16. आक्षेपित पदार्थ की कानूनी प्रकृति को देखने पर, यह देखा जा सकता है कि आक्षेपित पदार्थ को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) (जे) के अनुसार भोजन की परिभाषा के तहत आने वाले थोक खाद्य पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विवादित पदार्थ का विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2016 की अनुसूची-I के क्रम संख्या 4 (ii) में एक खाद्य घटक के रूप में उल्लेख किया गया है। 17.प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के एक नंगे अवलोकन से, यह भी देखा जा सकता है कि कथित पदार्थ भारतीय फार्माकोपिया में एक दवा के रूप में शामिल नहीं है।

ई.

एफ.

तथ्य यह है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) (जे) के अनुसार इसका "भोजन" के रूप में उल्लेख किया गया है, यह केवल यह साबित करता है कि विवादित पदार्थ को औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत एक विशिष्ट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

जी.

18. अपीलार्थीगण का दावा है कि विवादित पदार्थ एक दोहरे उपयोग वाला पदार्थ है, जिसका उपयोग भोजन और दवा निर्माण दोनों के लिए किया जा सकता है।इस तरह के दोहरे उपयोग वाले पदार्थों के लिए, ड्रग्स ए की अनुसूची के और नियम 123

एच.

123

हसमुखलाल डी. वोरा और ए. एन. आर. बनामतमिल नाडु राज्य [कृष्ण मुरारी, जे.] ए.

और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे पदार्थ औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अध्याय IV की आवश्यकताओं से मुक्त हैं।

19. यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी ने यह साबित करने का कोई प्रयास नहीं किया है कि कथित पदार्थ केवल एक दवा है न कि खाद्य-निर्माण पदार्थ।यह साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण या अन्यथा प्रस्तुत नहीं किया गया है कि कथित पदार्थ का उपयोग पूरी तरह से दवा के निर्माण के लिए किया जाता है न कि खाद्य पदार्थों के लिए।प्रथम दृष्टया, प्रारंभिक जांच और शिकायत के बीच चार साल की अवधि में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की कमी के कारण, यह अदालत यह नहीं मान सकती कि कथित पदार्थ को केवल "दवा" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

बी.

सी.

20. यदि हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और यह मानते हैं कि विवादित पदार्थ का उपयोग पूरी तरह से दवा निर्माण के लिए किया जाता है, तो भी, अपीलकर्ता दवा और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत उत्तरदायी नहीं होंगे क्योंकि अपीलार्थीगण के पास पहले से ही दवा और सौंदर्य प्रसाधन नियम, 1945 के फॉर्म 20 बी और 21 बी के अनुसार आवश्यक थोक दवा लाइसेंस है।ऐसे परिदृश्य में, भले ही शिकायत में लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से लिया जाए, फिर भी अपराध का कोई मामला नहीं बनाया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया तुच्छ हो जाएगी।

डी.

21. इसके अलावा, रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि भले ही शिकायत ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा की गई थी, लेकिन शिकायत को बनाए रखने के लिए अधिकारी द्वारा कोई सबूत नहीं दिया गया है। अपीलार्थीगण के आधार से कोई वसूली नहीं की गई है, और इस तर्क को बनाए रखने के लिए कोई सबूत प्रदान नहीं किया गया है कि विवादित पदार्थ को केवल एक दवा के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसके लिए एक विशिष्ट लाइसेंस की आवश्यकता है।

ई.

22. जबकि कथित पदार्थ की बिक्री अपीलार्थीगण द्वारा एक स्वीकृत तथ्य है, अधिकारी द्वारा यह साबित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है कि कथित पदार्थ एक दवा है जो केवल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के दायरे में आती है।यह दिखाने के लिए भी कोई प्रयास नहीं किए गए हैं कि विवादित पदार्थ की पैकेजिंग को मूल निर्माता से मूल पैकेजिंग से अलग विभिन्न आकार के पैकेटों में विभाजित किया गया था।बेचे गए पैकेटों की कोई वसूली नहीं की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मूल पैकेजिंग के साथ छेड़छाड़ की गई थी या नहीं।

एफ.

जी.

23. प्रारंभिक अनुसंधान और शिकायत दर्ज करने के बीच चार साल से अधिक का अंतराल रहा है, और पर्याप्त समय बीतने के बाद भी, इसे बनाए रखने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है

एच.

शिकायत में किए गए दावे।जैसा कि इस न्यायालय ने बिजॉय सिंह और अन्र मामले में कहा था। बनाम बिहार राज्य **4,** अत्यधिक विलंब**,** यदि उचित रूप से समझाया नहीं गया है**,** तो अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक हो सकता है।फैसले का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया हैः**-**

"जहां भी देरी पाई जाती है, अभियोजन पक्ष द्वारा समझाया जाना आवश्यक है।यदि देरी को उचित रूप से समझाया जाता है, तो कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन देरी की व्याख्या करने में विफलता के लिए न्यायालय को अभियोजन पक्ष के संस्करण की बारीकी से जांच करने की आवश्यकता होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराध में फंसाया गया है या नहीं।विलंब का स्पष्टीकरण मांगने के लिए अभियुक्त पर जोर देना कानून की आवश्यकता नहीं है।इस तरह की देरी की व्याख्या करना हमेशा अभियोजन पक्ष का काम है और यदि उचित, प्रशंसनीय और पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जाता है, तो इसके खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।"

बी.

सी.

24. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी ने प्रारंभिक स्थल निरीक्षण, कारण बताए जाने की सूचना और शिकायत के बीच चार साल से अधिक की असाधारण देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।वास्तव में, इस तरह के स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति केवल न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के पीछे कुछ भयावह उद्देश्य का अनुमान लगाने के लिए प्रेरित करती है।

डी.

25. जबकि अपने आप में अत्यधिक देरी एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए आधार नहीं हो सकती है, ऐसे मामलों में, इस तरह की अवधि की अस्पष्टीकृत अत्यधिक देरी को एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने के आधार के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना जाना चाहिए।

ई.

26. हालांकि यह अदालत आपराधिक शिकायत के स्तर पर पूर्ण अनुसंधान की उम्मीद नहीं करती है, लेकिन ऐसे मामलों में जहां आरोपी को इतने लंबे समय तक आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की आशंका है, अदालत के लिए अनुसंधान अधिकारियों से न्यूनतम सबूत की उम्मीद करना उचित है।

एफ.

27. पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम फिर से कहते हैं कि शिकायत दर्ज करने और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का उद्देश्य केवल न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होना चाहिए, और कानून का उपयोग आरोपी को परेशान करने के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।कानून, निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए एक ढाल के रूप में अस्तित्व में है, न कि उन्हें धमकी देने के लिए तलवार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

जी.

4 (2002) 9 एससीसी 147 ए

एच.

125

हसमुखलाल डी. वोरा और ए. एन. आर. बनामतमिल नाडु राज्य [कृष्ण मुरारी, जे.]

निष्कर्ष

28. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय विवादित निर्णय पारित करते समय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने में विफल रहा है।हालांकि यह सच है कि आपराधिक शिकायत को रद्द करना केवल दुर्लभतम मामलों में ही किया जाना चाहिए, फिर भी यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह न्याय की विफलता को रोकने के लिए प्रत्येक मामले को बहुत विस्तार से देखे।कानून एक पवित्र इकाई है जो न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मौजूद है, और अदालतों को, कानून के रक्षकों और कानून के सेवकों के रूप में, हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तुच्छ मामले कानून की पवित्र प्रकृति को विकृत न करें।

बी.

29. उपरोक्त तथ्यों और चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 का विवादित आदेश कायम रखने के लिए उत्तरदायी नहीं है और इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट-IV, सैदापेट, चेन्नई के न्यायालय में लंबित 2017 की सी. सी. संख्या 6351 की कार्यवाही रद्द कर दी गई है।

सी.

30. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है।

डी.

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.